न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 111/2018

1 भरत सिंह पुत्र मंशाराम जाति जाट निवासी बिड़ोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नेमीचन्द पुत्र सुरजाराम।
2 रामलाल पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण झाडेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का बिड़ोदी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 11.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पत्रावली बउनवानी भरतसिंह बनाम नेमीचन्द आदि मुकदमा नम्बर 125/2015 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—17.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 125/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा ग्राम झाडेवा की भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 1.45 हैक्टेयर जिसके नया खसरा नम्बर 105 रकबा 1.45 हैक्टेयर में वादी 1/4 हिस्सा भूमि भाग का काबिज खातेदार काश्तकार है। इस सन्दर्भ में विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बंटवारा का पेश किया गया था। जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी की गई। बंटवारा प्रस्ताव दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करना चाहिए था। बंटवारा प्रस्ताव में नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार करना चाहिए परन्तु विवादित भूमि में कैम्प बिदासर में बैठे—बैठे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बताये अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। बंटवार प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वादी एंव प्रतिवादी को नोटिस देने चाहिए थे। तहसीलदार द्वारा नोटिस दिये बिना ही बाला—बाला बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 11.06.2018 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.208 के सम्बंध में वादी/अपीलांट को कैम्प मे उपस्थिति होने का नोटिस नही दिया गया। जिससे निर्णय की जानकारी नही हुई जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व है। अत अपीलांट ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत हेतु नोटिस जारी किये गये थे। अपीलांट ने बंटवारा चाहा है। तहसीलदार द्वारा विधिवत बंटवारा तैयार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन कारण अंकित नही किया है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत हेतु नोटिस जारी किये गये थे। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर बंटवारा चाहा है। तहसीलदार द्वारा विधिवत बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन कारण अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर